न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–73/2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

बालचन्द राम

बनाम्

बिनेश्वर राम

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया बालचन्द राम पिता–स्व0 मुखन राम, ग्राम–मुरपा, पो0–मुरपा थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के तहत् क्रेता बिनेसर राम, पिता–स्व0 नागो राम, ग्राम–मुरपा, पो0–मुरपा थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के साथ मौजा–मुरपा अंचल– बालूमाथ, खाता संख्या–94, प्लॉट संख्या–1640 रकबा–0.08 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया। दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 09.07.2024 को सशरीर उपस्थित होकर जमीन का उचित बाजार मूल्य पर क्रय–विक्रय के लिए सहमति व्यक्त करते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक–990 दिनांक 25.07.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक–990 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा–मुरपा अंचल–बालूमाथ, खाता संख्या–94, प्लॉट संख्या–1640 रकबा–0.06 एकड़ भूमि पर विक्रेता का स्पष्ट दखल–कब्जा पाया गया है, जो आवेदक की खरीदगी भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही

95/12/8

जिला के निवासी है। बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल–3.51$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री के पश्चात् भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा मौजा–मुरपा अंचल–बालूमाथ, खाता संख्या–94, प्लॉट संख्या–1640 रकबा–0.06 एकड़ भूमि बिक्री की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत अंचल अधिकारी, बालूमाथ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक बालचन्द राम पिता–स्व0 भुखन राम, ग्राम–मुरपा, पो0–मुरपा थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार को क्रेता बिनेसर राम, पिता–स्व0 नागो राम, ग्राम–मुरपा, पो0–मुरपा थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के साथ मौजा–मुरपा अंचल–बालूमाथ, खाता संख्या–94, प्लॉट संख्या–1640 रकबा–0.06 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, जिला अवर निबंधक, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, बालूमाथ को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

GS 12/8

उपायुक्त,
लातेहार।

GS 12/8

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:00:47 +05:30
Location: 192.168.164.143